प0 सं0–14 / डी0एल0ए0 सिवान (सम्पर्क सड़क)–01 / 10–3039 / रा0, पटना–15, दिनांक–24/12/2012

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अर्जन निदेशालय)

–: अधिघोषणा :–

पत्रांक ..../ दिनांक ..../

चूँकि बिहार राज्यपाल को प्रतीत होता है कि मौजा–विजय हाता थाना नं0–254 परगना–बारा अंचल–पचरूखी जिला–सिवान के अन्तर्गत महादलित परिवारों को सम्पर्क सड़क निर्माण हेतु सरकारी खर्च पर भूमि ली जानी अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया गया है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त मौजा–विजयहाता थाना नं0–254 के अन्तर्गत भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम–बेस 0.08 एकड़ के बराबर होता है। जिसका अधिघोषित खेसरा निम्न प्रकार है :–

खेसरा नं0–33 अंश, 42 अंश।

अधिघोषित भूमि की चौहदी

उत्तर– 33 अंश, 42 अंश।

दक्षिण – 33 अंश, 42 अंश।

पूरब – सड़क,

पश्चिम– खे0 नं0–833.

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाले कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों के खानों की आवश्यकता नहीं है। किन्तु खानों या खनिजों के वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जन की जा रही है, उनके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो तो ले लिए जाऐंगें।

यह अधिघोषणा बिहार भू–अर्जन अधिनियम 1894 यथा संशोधित 1984 की धारा 6 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे संबंध हैं।

भूमि का नक्शा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सिवान के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को देखा जा सकता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

सरकार के अवर सचिव
बिहार पटना।

समाहर्त्ता
सिवान।

पी0 टी0 ओ0

ज्ञाप सं0–14/डी0एल0ए0 सिवान (सम्पर्क सड़क)–01/10–3039 /रा0, पटना–15, दिनांक–24/12/2012

प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को दो–दैनिक समाचार पत्रो जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशन करने एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सिवान को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट शाखा, समाहरणालय सिवान को जिला गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करने एवं प्रकाशित जिला गजट की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सिवान को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 3. आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा /समाहर्त्ता, सिवान को सूचनार्थ प्रेषित।

(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।